

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत।
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क्र०सं०	विन्दु	विन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य	पशु पालको को दुग्ध,अण्डा,मांस एवं ऊन का उत्पादन बढ़ा कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने के लिए पशुओं की चिकित्सा विभिन्न बीमारियों से बचावों हेतु टीकाकरण पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए हरा चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा नस्ल सुधार कार्यक्रम में अवर्णित एव कम उत्पादन वाले नर साडों का बधियाकरण कर कृत्रिम गर्भाधान द्वारा मादा पशुओं को गर्भित कर किया जाता हैं। अण्डा उत्पादन के लिए लेयर मुर्गी पालन कार्यक्रम,मांस उत्पादन के लिए वकरी सुकर पालन तथा ब्रायलर पालन तथा ऊन पालन के लिए भेड़ पालन व्यवसाय अपनाने हेतु योजनाएँ संचालित की जाती है। पशुपालन से सम्बन्धित आकड़ों को संकलित कर सूचनाएँ मासिक त्रैमासिक एवं वार्षिक उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है।
2	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	कर्मचारी एवं अधिकारी, राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है और राज्य सरकारी के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली, प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	क्रम से निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मुख्य तकनीकी अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी पशु औषधिक, पशुधन प्रसार अधिकारी कार्यालय सहायक, तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत है। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन/ निरीक्षण /पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय विकास भवन पीलीभीत में स्थित है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, नियन्त्रण अधिकारी का पद सृजित है जिनके नियन्त्रण रह सभी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
5	अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	संस्था द्वारा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मुख्य तकनीकी अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी पशु औषधिक, पशुधन प्रसार अधिकारी कार्यालय सहायक, तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है, जिनके द्वारा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है, नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	इस संस्था का जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्देशन तथा जिला स्तर की कमेटियों जिसमें जन प्रतिनिधि भाग लेते है, कार्यक्रम को अनुमोदित कराया जाता है
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों परिषदों,समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगो के लिए खुली हैं अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगो के लिए सुलभ है।	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जन प्रतिनिधियों की राय/सुझाव ली जाती है तदानुसार पशुपालन कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।

9	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	इस संस्था के कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते हैं।
10	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के मासिक तथा त्रैमासिक आकड़े उप निदेशक, पशुपालन विभाग बरेली मण्डल, बरेली एवं निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते हैं।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	इस संस्था को बजट जिला योजना, राज्य योजना एवं समाज कल्याण विभाग, से निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाता है। जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करके सम्बन्धित अधिकारियों को प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के व्योरे सम्बन्धित है।	आत्मा योजना के अन्तर्गत बजट उप कृषि निदेशक पीलीभीत द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जिसका नियमानुसार व्यय कर विल समायोजन हेतु उप कृषि निदेशक को भेजा जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ	शासन के निर्देशानुसार पशुपालनको को प्रोत्साहित करने के लिए पशु चिकित्सा, वाझपन चिकित्सा शिविर, पशुपालक गोष्ठियाँ एवं प्रदर्शन पशुपालको के यहाँ कराये जाते हैं।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	संस्था द्वारा समस्त सूचनाएँ उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती हैं अवश्यकतानुसार प्रिन्ट मीडियाँ से प्रचार प्रसार कराया जाता है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयों के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जन सूचना अधिकारी, डा0 धर्मन्द्र सिंह मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पीलीभीत एवं सहायक जन सूचना अधिकारी डा0 आर0एस0सिंह, मुख्य तकनीकी अधिकारी, पीलीभीत तथा विकास खण्ड स्तर पर सहायक जन सूचना अधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी, डा आर0 जी0 गुप्ता-मरौरी, डा0 शैलेन्द्र सिंह-अमरिया, डा0 राकेश कुमार-ललौरीखेड़ा, डा हयात वारिस सैफी-बरखेड़ा, डा0 ए0 के0 चौरसियाँ-बीसलपुर, एवं डा0 बृजेश कुमार त्रिपाठी-विलसण्डा, डा0 आर0 एस0 राठौर-पूरनपुर।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
पीलीभीत।

शासनादेश संख्या 556 / 43-2-2008-15 / 02(3) / 2007टीसी
दिनांक 06-06-08 का सलग्नक

कार्यालय का नाम :- कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत ।

क्र० स०	विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन/अधीनस्थकार्यालय /सार्वजनिक निगम/ उपक्रम/ परिषद/बोर्ड/संस्था का नाम	अधिनियम की धारा 4(1) (बी)के अर्न्तगत तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5
1	पशुपालन विभाग (कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत)	16	0	0

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
पीलीभीत ।

प्रेषक,

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
पीलीभीत ।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
पीलीभीत ।

पत्रांक

/जन सूचना/2008-09

दिनांक जून, 2008

विषय:-
के

लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी)
सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1388 (55)/रा0सहा0-08/दिनांक 23-6-2008 का अवलोकन करने का कष्ट करें । जिसके द्वारा "लोक प्राधिकरण (Public Authy) (1) (बी) " के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये है ।

उक्त के क्रम में वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर दो सीडी एवं हार्डकापी सहित आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(डा0 धर्मन्द्र सिंह)
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
पीलीभीत ।